न्यायालय उपखण्ड अधिकारी रामगढ़ जिला अलवर

पीठासीन अधिकारी :– रेनू मीना *आर. ए. एस.*

प्रा0 पत्र	तारीख रजू	तारीख निर्णय
2/46/19	02.04.2019	24.10.2019

उनवान

1. मक्खन सिंह
2. गुरमुख सिंह
3. हरदयाल सिंह पुत्रांन कर्मसिंह जाति राजपूत निवासियान सैकमबास तहसील रामगढ जिला अलवर।

............................प्रार्थीगण

बनाम

1. राजस्थान राज्य सरकार जर्ये तहसीलदार साहब रामगढ ।

.........................अप्रार्थी

(प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128 एलआरएक्ट)

निर्णय

प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत प्रा0 पत्र का विवरण संक्षेप में इस प्रकार हैं कि आराजी खसरा नम्बर 1272/515 रकबा 0.05, 516 रकबा 0.21, 517 रकबा 0.14, 519 रकबा 0.70 हैक्ट0 वाके ग्राम सेकमबास तहसील रामगढ़ जिला अलवर में स्थित आराजी प्रार्थना पत्र में विवादित है। उपरोक्त आराजी पर प्रार्थीगण काबिज व दाखिल है। और रिकोर्डेड कब्जे काश्त खातेदार है। और आज दिन तक कब्जे काश्त रहकर उपरोक्त आराजी पर काश्त करते चले आ रहे है। उक्त आराजी की पूर्व में दिनांक 02.06.2016 को पैमाईश की जा चुकी है। परन्तु उस समय पत्थरगढी नही हुई थी। प्रार्थीगण ने कई बार अप्रार्थी को प्रार्थना पत्र मय हल्का पटवारी व कानूनगो की मौका की रिपोर्ट के साथ संलग्न कर दिया तो अप्रार्थी ने कहा कि यदि आपको पत्थरगढी व निशानदेही करानी है तो न्यायालय में 128 भू0 राजस्व अधिनियम के तहत प्रार्थना पत्र पेश करो। जिसके लिये प्रार्थी के पास उक्त प्रार्थना पत्र पेश करने के अलावा अन्य कोई विकल्प शेष नही रहा है।

उप खण्ड अधिकारी
रामगढ़ (अलवर)

Generated by CamScanner

अतः प्रार्थना है कि प्रार्थना पत्र प्रार्थीगण स्वीकार फरमाया जाकर प्रार्थी की कब्जे काश्त खातेदारी की आराजी विवादित आराजी खसरा नम्बर 1272/515 रकबा 0.05, 516 रकबा 0.21, 517 रकबा 0.14, 519 रकबा 0.70 हैक्ट0 वाके ग्राम सेकमबास तहसील रामगढ़ जिला अलवर की पत्थरगढी सही माप से पुलिस इमदाद के साथ राजस्व अधिकारीगण व तहसीलदार साहब की गठित टीम के तहत मौके पर कराई जावें।

प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर्ड किया जाकर अप्रार्थी को जर्ये नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थी (पैरोकार सरकार) की ओर से न्यायालय में विधिवत् तामिल बावजूद उपस्थित नही आये।

पत्रावली में संलग्न मौका पर्चा रिपोर्ट दिनांक 07.10.2016 इस प्रकार है कि आराजी खसरा नम्बर 1272/575 रकबा 0.05, 516 रकबा 0.21, 517 रकबा 0.14, 519 रकबा 0.70, 520 रकबा 0.27 हैक्ट0 की पैमाईश करने मौके पर पहुचे। मौके पर प्रार्थीगण हरदयाल, मक्खन सिंह, गुरमुख सिंह पिता कर्मसिह राजपूत व अन्य ग्रामीण तथा सद्दीक पुत्र सुलेमान अयूब पुत्र जुम्मा, तैयब पुत्र रहमान की मौजूदगी में पैमाईश की कार्यवाही की गई। मौके पर ख0 नं0 1272/575 रकबा 0.05, 516 रकबा 0.21, 517 रकबा 0.14, 519 रकबा 0.70, 520 रकबा 0.27 हैक्ट0 की पैमाईश करने पर प्रार्थीगण उपस्थित थे एवं अप्रार्थीगण की ओर से प्रा0 में उपस्थित सददीक, अयूब तथा तैयब बाद में छोडकर चले गये थे। उपरोक्त आराजी ख0 नम्बरों का पैमाईश प्रार्थीगण व अन्य ग्रामीणों की उपस्थिति में की गई। जिससे प्रार्थीगण सन्तुष्ट हुए। मौका पर्चा तैयार करते वक्त पाबन्द किया कि उपरोक्त ख0 नं0 की डोल को न तोडे व जबरन कब्जा ना करें। मौका पर्चा तैयार कर सुनाकर उपस्थितों के हस्ताक्षर / अंगूठा करवाये गये।

प्रार्थीगण ने प्रार्थना पत्र की ताईद में नकल जमाबन्दी सम्वत 2069–72 , मौका पर्चा दिनांक 07.10.2016.2019 की छायाप्रति एवं तहसीलदार के पैमाईश हेतु किया गया आवेदन पत्र की प्रमाणित प्रति पेश की।

पत्रावली का अवलोकन किया। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात साक्ष्य का अध्ययन किया। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्य नकल जमाबन्दी सम्वत 2069–72 , मौका पर्चा दिनांक 07.10.2016 के अवलोकन से प्रतीत होता है कि प्रार्थी के ख0 नं0 1272/515 रकबा 0.

उप खण्ड अधिकारी
रामगढ़ (अलवर)

Generated by CamScanner

05, 516 रकबा 0.21, 517 रकबा 0.14, 519 रकबा 0.70 हैक्ट0 वाके ग्राम सेकमबास का सीमाज्ञान दिनांक 07.10.2016 को कराया जा चुका है। अतः प्रार्थी के कब्जे काश्त खातेदारी की आराजी की पत्थरगढी कराया जाना न्यायोचित है।

आदेश

अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर तहसीलदार रामगढ़ को आदेशित किया जाता है कि प्रार्थी के आराजी हाल ख0 नं0 1272/515 रकबा 0.05, 516 रकबा 0.21, 517 रकबा 0.14, 519 रकबा 0.70 हैक्ट0 वाके ग्राम सेकमबास की पत्थरगढी पडौसी काश्तकारों को नोटिस देकर एवं राजस्व अधिकारी व पटवारीगणों की गठित टीम के साथ मौके पर पत्थरगढी कराना 15 दिवस में सुनिश्चित करे। तहसीलदार रामगढ को अहकाम जारी हो। पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तकमील नम्बर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय मेरे द्वारा लिखाया जाकर आज दिनांक 24.10.2019 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(रेनू मीना)
आर.ए.एस.
उपखण्ड अधिकारी
रामगढ़ (अलवर)

उप खण्ड अधिकारी
रामगढ़

Generated by CamScanner